

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 18, मंगलवार, शके 1947- सितम्बर 09, 2025 Bhadra 18, Tuesday, Saka 1947- September 09, 2025	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 03, 2025

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013) 2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 11(1) एवं राजस्थान नियम 16(1))

संख्या F.1(62)UDH/UDAIPUR/2024 :-यह कि लोक प्रयोजन के लिए राजस्थान राज्य के उदयपुर सेवाश्रम रेल्वे ओवरब्रिज के पश्चिमी दिशा की तरफ सर्विस रोड निर्माण के लिए कुल 0.1062 हेक्टर भूमि अपेक्षित है। सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (S.I.A.) का कार्य मेसर्स प्रभु फाउंडेशन, जयपुर द्वारा किया गया था। समाघात मूल्यांकन अध्ययन (S.I.A.) की रिपोर्ट का मूल्यांकन नियम 16 के अन्तर्गत सरकार द्वारा गठित बहुउद्देशीय कमेटी द्वारा किया गया जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

1. अधिसूचित भूमि अधिग्रहण, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 11(1) के तहत की गई है।
2. राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों को, जिनका इससे संबंध है, को ईलाके में किसी भी भूमि का सर्वे, नाप व लेवल के लिए प्रवेश करने, भूमि के नीचे मिट्टी की जांच के लिए बोर करने या परियोजना के क्रियान्वयन व उचित निर्माण के लिए अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है।
3. भूमि अधिग्रहण, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने के समय तक प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर राजस्थान की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

4. उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिवस के भीतर अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत अधिग्रहण के संबंध में आपत्ति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

विवरण संलग्न सूची अनुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

राकेश कुमार-I,
शासन उप सचिव- III

राजस्थान के उदयपुर शहर में सेवाश्रम रेल्वे ऑवरब्रिज के पश्चिमी दिशा की तरफ सर्विस रोड निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से प्रभावित संरचनाओं एवं सम्पत्तियों का विवरण :-

क्र.सं.	प्रभावित खातेदारों के नाम	प्रभावित खसरा	अवाप्त की जाने वाली भूमि वर्गफीट में	किस्म	विशेष विवरण
	छात्रावास समिति जरिये सचिव श्री हीरालाल कोठारी उदयपुर	920	5595.20	मगरी द्वितीय	

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।